

झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग।

आ.सं.-8/ज.सं.(नि.)राँची-06/2011पार्ट-I:-...../राँची, दिनांक:-.....

आदेश

श्री सुबोध प्रसाद मंडल, तत्कालीन सहायक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल सं.-1, चैनपुर, गुमला पर पदस्थापन अवधि में बरते गए अनियमितताओं के लिए विभागीय संकल्प संख्या 354 दिनांक 09.02.2012 द्वारा उनके विरुद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43 बी के तहत विभागीय कार्यवाही आरंभ की गई थी।

2. गठित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग के स्तर से की गयी।

3. सम्यक समीक्षोपरांत सरकार ने श्री मंडल, तत्कालीन सहायक अभियंता को आरोपमुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त करने का निर्णय लिया है।

अतएव एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह0/-

(डॉ.लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:- 1071

/राँची, दिनांक:- 29/05/14 /

प्रतिलिपि:-संयुक्त सचिव (प्र.), जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/अवर सचिव (प्रभारी प्रशाखा-02), जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल सं.-1, चैनपुर शिविर, गुमला/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखंड राँची/श्री सुबोध प्रसाद मंडल, तत्कालीन सहायक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल सं.-1, चैनपुर, गुमला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल सं.-1, चैनपुर, शिविर गुमला को निदेश दिया जाता है कि यह पत्र वे श्री सुबोध प्रसाद मंडल को तामिला करा दें।

(डॉ.लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव।

26.5.14